राजस्थान सरकार
राजस्थान राज्य विप्र कल्याण बोर्ड

44ए, इंदिरा गांधी नहर मंडल, भवानी सिंह रोड, जयपुर
ईमेल : rrvkboard@rajasthan.gov.in दूरभाष : 0141-2220001

क्रमांक : एफ 1 ( ) बैठक/विकबो/2023/ 10,006 दिनांक : 27.02.2023

विज्ञप्ति

गैर सरकारी विप्र संगठनों की सम्बद्धता हेतु आवेदन

राज्य सरकार द्वारा विप्र समाज के कल्याण एवं आर्थिक उत्थान हेतु सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक 7011 दिनांक 10.2.2022 के द्वारा "राजस्थान राज्य विप्र कल्याण बोर्ड" का गठन किया गया है।

राजस्थान राज्य विप्र कल्याण बोर्ड की प्रथम बैठक में विप्र समाज कल्याण /उत्थान एवं सर्वांगीण विकास के क्षेत्र में कार्यरत ऐसे गैर सरकारी संगठन /संस्थाएं जो विप्र समाज के कल्याण हेतु यथा धार्मिक, सांस्कृतिक, कलात्मक, रचनात्मक, आर्थिक अभिवृद्धि, सामाजिक बुराईयों/कुरीतियों को दूर करने, पुजारियों/कर्मकाण्डी को रोजगार के बेहतर अवसर / सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए सतत् रूप से कार्य कर रही है, को एक ही छत के नीचे लाने हेतु राजस्थान राज्य विप्र कल्याण बोर्ड द्वारा सर्वसम्मति से सम्बद्धता प्रदान करने का निर्णय लिया गया है।

उक्त बैठक की पालना में राजस्थान राज्य विप्र कल्याण बोर्ड द्वारा गैर सरकारी विप्र संगठन सम्बद्धता हेतु दिशा निर्देश बनाकर बोर्ड की द्वितीय बैठक में सर्वसम्मति से अनुमोदित करके "गैर सरकारी विप्र संगठन सम्बद्धता नियम 2023" जारी कर दिये गये है। "गैर सरकारी विप्र संगठन सम्बद्धता नियम 2023" के उद्देश्य के बिन्दु संख्या 4 में उल्लेखित है कि

"बोर्ड द्वारा विप्र समाज के गैर सरकारी संगठनों को विभिन्न राजकीय विभागों/संस्थाओं / उपक्रमों द्वारा प्राप्त की जाने वाली समस्त प्रकार की राजकीय सहायता / अनुदान / भूमि आवंटन आदि को प्राप्त करने हेतु अभिशंषा करना एवं विप्र समाज के गैर सरकारी संगठनों व राज्य सरकार के मध्य समन्वयक के रूप में कार्य करना।"

अतः भविष्य में राज्य के ऐसे गैर सरकारी विप्र संगठन / संस्थाऐं जो विप्र समाज के कल्याणार्थ / उत्थान एवं सर्वागीण विकास के लिए कार्य कर रहें हैं उन्हें राजस्थान राज्य विप्र कल्याण बोर्ड की सम्बद्धता प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।

इसके लिए बोर्ड द्वारा गैर सरकारी विप्र संगठन सम्बद्धता नियम 2023 एवं सम्बद्धता हेतु निर्धारित प्रार्थना पत्र सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की वेबसाईट https://sje.rajasthan .gov.in/commissions/VIPRA/ से एवं बोर्ड कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है। राजस्थान राज्य विप्र कल्याण बोर्ड से सम्बद्धता प्राप्त करने हेतु निर्धारित प्रपत्र में आवेदन प्रस्तुत करने की अन्तिम दिनांक 31 मार्च 2023 है।

सचिव

क्रमांक : एफ 1 ( ) बैठक/विकब/2023/ 10,007 – 10,010 दिनांक: 27.02.2023

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव माननीय अध्यक्ष राज, राज्य विप्र कल्याण बोर्ड जयपुर।
2. निजी सचिव शासन सचिव, सामा. न्याय एवं अधि विभाग, राजस्थान जयपुर
3. निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव, सान्या राजस्थान जयपुर
4. रक्षित पत्रावली

सचिव